राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि / नरेगा / मा.द. / पार्ट–II / 2010 जयपुर, दिनांक: 14 JUN 2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान में संशोधन के कम में।**

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम –2005 की धारा 4 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2005 को ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी देने हेतु स्कीम अधिसूचित की गयी थी, जिसमें दिनांक 05.03.2008 को संशोधन कर बिन्दु संख्या 6 में बेरोजगारी भत्ते की दरों को अधिसूचित किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन करने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अध्याय 4 के बिन्दु संख्या 27 (बेरोजगारी भत्ता) के उपबिन्दु संख्या 2 में दिनांक 05.03.2008 द्वारा किये गये संशोधन को पुनः संशोधित करते हुए उसके स्थान पर निम्नानुसार पैरा पदस्थापित किया जाता है :–

"बेरोजगार भत्ते की दरें, अधिनियम की धारा 7 (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रथम 30 दिवस में बेरोजगारी भत्ते की दर रू. 25/–प्रति दिवस तथा शेष अवधि के लिए रू.50/– प्रति दिवस निर्धारित की जाती है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते की दरें प्रथम 30 दिवस के लिए न्यूनतम मजदूरी दर ही एक चौथाई एवं शेष अवधि के लिए न्यूनतम मजदूरी दर की आधी होगी"।

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अन्तर्गत दिनांक 28.05.2007 को अधिसूचित किये गये पैरा 1 में स्कीम के नाम "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान" के स्थान पर "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान" प्रतिस्थापित किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय
[signature] 14/6/10
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री / राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
4. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, समस्त।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
6. निदेशक एवं उप सचिव, जन सम्पर्क विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया इसे समाचार पत्रों में समाचार के रूप में प्रकाशित कराने का श्रम करावें।
7. रक्षित पत्रावली।
8. Programmer to upload on website

[signature] 14/6/10.
परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, ईजीएस